भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1919

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम

1919. श्री अरविंद गणपत सावंत:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के कुपोषण की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त चुनौतियों से निपटने के लिए समेकित पोषण सहायता कार्यक्रम कार्यान्वित किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त चुनौतियों से निपटने में अब तक प्राप्त की गई सफलता का विशेषकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या वर्तमान में चल रहे पोषण कार्यक्रम में कोई कमियां और खामियां हैं, जो समेकित पोषण सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार करने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोषण कार्यक्रम की कमियों को दूर करने और उनका समाधान करने के लिए उठाए गए कदमों और विशेषकर उक्त राज्यों में इसमें प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौती का समाधान करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष के) के लिए योजना को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके कार्यान्वयन और गतिविधियों के दिन-प्रतिदिन के निष्पादन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है।

पोषण केवल खाना खाने से नहीं होता है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय की आवश्यकता होती है जो स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच क्रॉस कटिंग अभिसरण की मदद से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस में मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन प्रमुख कार्यकलाप हैं। इसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

वर्ष 1992-93 से संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चक्रों में भी पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया गया है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	ठिगनापन %	अल्पवजन %	दुबलापन %
एनएफएचएस-1 (1992-93)*	52	53.4	17.5
एनएफएचएस-2 (1998-99)**	45.5	47	15.5
एनएफएचएस-3 (2005-6)***	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस-4 (2015-16)***	38.4	35.8	21.0
एनएफएचएस-5 (2019-21)***	35.5	32.1	19.3

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम

*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका संबंधित समय के साथ 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.54 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7.31 करोड़ बच्चों की वृद्धि मापदंडों पर मापी गई। इनमें से 38.9% बच्चे ठिगने, 17% बच्चे अल्प वजन के और 5.2% बच्चे कमजोर पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 16.1 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)। पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 8.82 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं, जिनमें से 8.55 करोड़ बच्चों की कद और वजन के विकास मापदंडों पर माप की गई। इनमें से 37% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने पाए गए और 17% बच्चे (0-6 वर्ष) कम वजन के पाए गए।

उपरोक्त एनएफएचएस आंकड़ों और पोषण ट्रैकर डेटा के विश्लेषण से भारत भर में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कुपोषित बच्चों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

"एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम" के संबंध में श्री अरविंद गणपत सावंत, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्रीमती भारती पारधी और श्री श्रीरंग अप्पा चंदू बारणे द्वारा दिनांक 6.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1919 के भाग (ख और घ) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

पोषण ट्रैकर से अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2023 और अक्टूबर 2024 के लिए देश में कुपोषित बच्चों (0-5 वर्ष) का राज्य-वार विवरण निम्न प्रकार है:

राज्य	अक्टूबर 2022			अक्टूबर 2023			अक्टूबर 2024		
	ठिगने (%)	दुबले (%)	कम वजन (%)	ठिगने (%)	दुबले (%)	कम वजन (%)	ठिगने (%)	दुबले (%)	कम वजन (%)
आंध्र प्रदेश	21.2	5.3	10.5	18.2	5.4	8.7	22.6	5.3	10.8
अरुणाचल प्रदेश	33.3	5.3	14.6	27.2	4.6	9.1	32.7	4.1	9.6
असम	39.0	8.2	19.0	39.0	5.0	15.9	42.4	3.8	16.3
बिहार	42.9	11.0	25.8	45.0	9.0	22.7	43.8	9.2	22.9
छत्तीसगढ़	39.0	10.4	17.9	29.4	11.3	15.5	21.5	7.0	13.1
गोवा	37.2	9.0	16.2	18.8	2.3	5.8	4.1	0.6	1.7
गुजरात	53.6	8.1	23.1	43.6	8.9	20.7	40.8	7.8	21.0
हरियाणा	30.1	8.5	14.0	25.9	5.7	8.9	28.2	4.1	8.7
हिमाचल प्रदेश	26.1	4.6	10.8	21.7	2.4	7.2	18.4	1.7	6.3
झारखंड	43.2	12.1	25.9	38.8	8.8	18.8	43.8	6.2	19.3
कर्नाटक	41.0	8.9	20.7	39.7	7.5	17.5	39.7	3.2	17.1
केरल	37.2	9.5	15.3	33.1	4.8	10.1	34.4	2.3	9.5
मध्य प्रदेश	52.4	9.7	33.0	40.5	8.2	23.6	46.5	6.9	26.5
महाराष्ट्र	49.5	7.1	21.8	48.1	5.6	17.5	47.7	4.1	16.5
मणिपुर	17.8	2.8	7.6	16.3	1.2	7.7	7.7	0.3	2.6
मेघालय	27.4	3.1	8.7	24.7	1.8	6.6	18.2	0.4	4.5
मिजोरम	20.0	4.2	6.2	23.5	3.7	5.6	26.7	2.3	5.9
नागालैंड	27.8	6.9	9.8	22.9	4.6	7.0	28.0	5.3	6.6
ओडिशा	30.6	5.9	14.7	34.3	4.0	14.8	29.1	2.9	12.8
पंजाब	32.9	9.2	12.9	18.0	5.4	7.9	18.4	3.0	5.9
राजस्थान	37.0	11.6	20.0	35.7	7.5	16.7	36.6	5.5	17.7
सिक्किम	12.2	2.8	2.7	14.1	2.8	3.1	9.2	1.5	1.7
तमिलनाडु	22.6	6.1	10.5	16.6	4.8	8.1	13.4	3.6	7.1
तेलंगाना	29.6	5.7	14.3	30.8	4.6	13.5	32.6	5.6	16.2
त्रिपुरा	36.9	9.2	16.3	37.8	7.2	15.4	40.5	6.3	16.6
उत्तर प्रदेश	45.2	9.5	21.7	45.7	5.7	19.4	48.0	3.9	19.4
उत्तराखंड	31.8	6.7	8.4	33.4	6.3	8.4	21.0	1.5	5.4
पश्चिम बंगाल	41.1	10.1	16.2	38.1	8.6	12.5	38.0	7.5	13.0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24.0	6.9	10.8	20.7	4.5	8.2	8.7	2.3	3.9

राज्य	अक्टूबर 2022			अक्टूबर 2023			अक्टूबर 2024		
	ठिगने (%)	दुबले (%)	कम वजन (%)	ठिगने (%)	दुबले (%)	कम वजन (%)	ठिगने (%)	दुबले (%)	कम वजन (%)
दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	52.9	15.4	40.1	45.2	12.5	32.8	35.9	3.3	16.1
दिल्ली	32.8	4.5	16.5	33.6	4.8	19.1	41.9	3.0	20.6
जम्मू व कश्मीर	14.5	2.5	5.6	18.1	2.5	5.1	12.1	0.7	3.0
लद्दाख	27.9	5.3	8.0	15.9	1.8	3.5	11.0	0.2	2.0
लक्षद्वीप	100.0	0.0	75.0	39.9	11.8	19.4	46.5	11.9	25.1
पुदुच्चेरी	26.0	9.3	12.0	29.0	7.9	11.6	40.2	6.8	13.0
यूटी-चंडीगढ़	36.6	4.5	18.0	34.1	0.7	12.0	26.3	1.8	11.8
